(2011) 11 एस.सी.आर.

दीनबन्धु

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1903/2011)

सितम्बर 23, 2011

(आफताब आलम एवं रंजना प्रकाश देसाई, जे.जे.)

जमानत – सशर्त अग्रिम जमानत – का औचित्य – अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 भाई हैं – दीवानी न्यायालय में लंबित पक्षों के बीच एक विभाजन वाद में, यह प्रतिवादी संख्या 2 का मामला था कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभाजन का विलेख अधीन था परिवर्तन और अंतर्वेशन के लिए – दाण्डिक शिकायत प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 192, 193, 196, 200, 420, 406, 467, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना करने वाले अपीलकर्ता द्वारा आवेदन – उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त के अधीन कि पक्षकारों के बीच लंबित विभाजन के वाद में, कोई भी पक्ष साक्ष्य के रूप में पारिवारिक व्यवस्था–सह–विभाजन विलेख का उपयोग नहीं करेगा – याचिका द्वारा अपीलकर्ता को उससे अनुतोष देने के लिए कथित शर्त से– उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई – अपील पर, निर्धारित किया गयाः यह पक्षकारों के बीच विभाजन के वाद से तकशीम करने वाले दीवानी न्यायालय का काम है कि वह अपने मामले के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभाजन के विलेख की वास्तविकता की जांच और परीक्षण करे – यदि दीवानी न्यायालय ने इसे वास्तव में धोखाधड़ी या प्रक्षेप या जालसाजी के अधीन पाया, तो अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उचित कार्यवाही संस्थित कर सकती है– दस्तावेज़ की वास्तविकता और वैधता का परीक्षण शायद ही शिकायत के मामले में किया जा सकता है और निश्चित रूप से आरोपी को जमानत प्रदान करने के चरण में नहीं – उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त मुद्दे पर पहले से निर्णय लेने के समान है – इस प्रकार, अपीलकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त काफी खराब और अवैध है और इसे पोषणीय नहीं रखा जा सकता है – अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता उस शर्त से बाध्य नहीं हैं।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 1903/2011

निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.07.2010 उच्च न्यायालय पटना दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–24472/2010

अपीलार्थी की ओर से एम.ए. चिन्नास्वामी(एन.पी.)

चन्दन कुमार (गोपाल सिंह के लिए) व जय किशोर सिंह प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया।

<u>आदेश</u>

अनुमति प्रदान की गयी

पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलकर्ता, जो दंड संहिता की धारा 192, 193, 196, 200, 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत एक शिकायत मामले में आरोपी है, को 06 मई, 2010 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, सीआरएल.एम.सी. संख्या 12306/2010 में। हालाँकि, जमानत आदेश एक असामान्य शर्त के अधीन था। आदेश में कहा गया है कि पक्षकारों के बीच लंबित विभाजन के वाद में, न तो आरोपी और न ही शिकायतकर्ता साक्ष्य के रूप में एक निश्चित दस्तावेज़ (पारिवारिक व्यवस्था–सह–विभाजन विलेख) का उपयोग नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"...यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाजन के वाद का निर्णय करने के लिए कथित दस्तावेज़, जो वर्तमान मामले में विवाद का विषय है, का उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा विभाजन के अपने दावे के समर्थन में नहीं किया जाएगा"

शिकायतकर्ता–प्रतिवादी नंबर 2 और अपीलकर्ता–आरोपी भाई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाजन वाद को पंजीकृत विभाजन वाद संख्या 24/2004 के रूप में किया गया था जो उप–न्यायाधीश प्रथम लखीसराय के न्यायालय में लंबित है, जिसमें शिकायतकर्ता और आरोपी अपीलार्थी दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्ष में हैं। उस वाद में अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से "शार्टनामा" (विभाजन का विलेख) पर निर्भर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत शरतनामा में परिवर्तन और प्रक्षेप किए गए थे। इसपर उन्होंने शिकायत दाखिल की इससे पहले कि दीवानी न्यायालय को मौका मिले साक्ष्य का परीक्षण, उसके सत्यता एवं वास्तविकता या अन्यथा पर टिप्पणी कर पाये।

शिकायत में यह कथन किया गया है (पैराग्राफ 7 में):

"यह कि आरोपी दीनबंधु ने उप–न्यायाधीश प्रथम, लखीसराय की अदालत में विभाजन वाद संख्या 24/2004 के रिकॉर्ड पर एक गलत दस्तावेज दाखिल करने का अपराध किया है, यह जानते हुए कि उसके द्वारा दायर किया गया दस्तावेज झूठा है, जिसमें विलोप और वृद्धि की गयी है। इसलिए यह एक बनावटी दस्तावेज़ है जिसे न्यायालय को गुमराह करने के लिए दायर किया गया है और कहा गया है कि यह एक वास्तविक दस्तावेज़ है और इससे वाद पर असर पड़ा है।"

इस मामले में जो कि शिकायत से उत्पन्न हुआ में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रार्थना अग्रिम जमानत के लिए स्वीकृत की लेकिन उक्त शर्तों के अधीन।

बाद में अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में याचना की गयी कि उसे इस शर्त से अनुतोष दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा याचना दिनांक जुलाई 21, 2010 को खारिज की गयी, यह समीक्षा करते हुए कि आदेश दिनांक मई 6, 2010 के अनुपालन में मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर अपीलार्थी स्वयं को जमानत पर रिहा कराने में सक्षम था और जमानत पर रिहा होने के बाद ही जमानत की शर्त को हटाने की प्रार्थना की गयी थी।

यह बिल्कुल सच है कि औचित्य की मांग है कि अपीलकर्ता को शर्त को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समावेदन करना चाहिए था या उस आदेश के आधार पर जमानत प्राप्त करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष समावेदन करना चाहिए था। लेकिन, यहां हम अपीलकर्ता के आचरण की तुलना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता और वैधता से अधिक चिंतित हैं।

हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त काफी खराब और अवैध है और इसे पोषणीय नहीं रखा जा सकता है। यह बुनियादी और प्राथमिक है कि किसी वाद में साक्ष्य के रूप में उपयोग किए गए दस्तावेज़ की वास्तविकता, शुद्धता और वैधता का अंतिम न्यायाधीश दीवानी न्यायालय है। इसलिए, पक्षकारों के बीच विभाजन वाद में तकशीम करने वाली अदालत को मामले के समर्थन में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत "शर्तनामा" की वास्तविकता की जांच और परीक्षण करना है। यदि दीवानी न्यायालय ने इसे वास्तव में धोखाधड़ी या प्रक्षेप या जालसाजी के अधीन पाया, तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अंतर्गत अपीलकर्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम होगा। दस्तावेज़ की वास्तविकता और वैधता का परीक्षण शायद ही शिकायत मामले में किया जा सकता है और निश्चित रूप से आरोपी को जमानत प्रदान करने के चरण में नहीं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा यह शर्त लगाया जाना कि दीवानी वाद में पक्षकार दस्तावेज पर निर्भर नही कर सकते एवं उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी शर्त मुद्दे पर पूर्व–निर्णय करने के समान है।

उपर्युक्त की गई चर्चा के प्रकाश में, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त अमान्य है और हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी या उस मामले के शिकायतकर्ता उस शर्त से बाध्य नहीं होंगे।

परिणामस्वरूप, दाण्डिक अपील स्वीकृत दी जाती है।

एन.जे. अपील स्वीकृत।

Vetted by-
Anshuman Patnaik
Addl. Dist. Judge 24
Kanpur Nagar